POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2018-20 (RNI. REG. NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2018/अंक 09

मासिक प्रेषण दि. 8 सितंबर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 सितंबर, 2018 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे, पंचतत्व में विलीन हो गए। वह भारत के सच्चे सपूत थे। विपक्ष भी उनकी सोच का लोहा मानता था। जब बोलते थे तो सभी मंत्र मुग्ध हो जाते थे। निर्विवाद और साफ सुधरी छवि रही है उनकी।

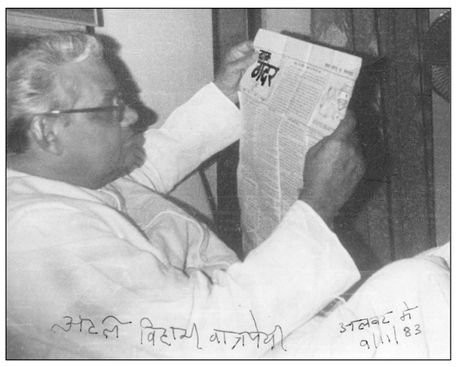

सदैव देश हित में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया उन्होंने। शांति और शक्ति के प्रतीक थे वह। पोकरण में परमाणु परीक्षण कर उन्होंने पूरे विश्व को चौंका दिया था। भारत परमाणु सम्पन्न देश बन गया। अनंत प्रतिभाओं के धनी थे अटलजी। निर्मल और स्वच्छन्द स्वभाव उनकी खासियत थी....।

वर्ष 1983 में पहली बार मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 'ग्राम गदर' भित्तीपत्र का पहला अंक लेकर मैं उनके पास गया था। मैं देखता रहा, बड़ी तल्लीनता से उन्होंने 'ग्राम गदर' को पढ़ा।

उन्होंने पूछा तो मैंने बताया था राजस्थान के दूर दराज के गांवों तक समाचार पत्र नहीं पहुंचते। इससे गांव के लोगों को उनके लिए बनाई गई योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती। जिससे वे योजनाओं के लाभ नहीं उठा पाते। यह भित्तीपत्र डाक द्वारा भेजा जा रहा है।

डाक विभाग के ई.डी. कर्मचारी (ग्रामीण पोस्टमैन) स्वेच्छा से गांव की चौपाल पर इसे चिपकाते हैं और पढ़े-लिखे गांव के लोग इसे पढ़कर सुनाते हैं। गांव वाले इससे जागरूक होंगे।

यह सब सुनकर उन्होंने खुशी जाहिर की और कहा था 'सवालिया समाज का गठन इसका खास मकसद होना चाहिए... यह नेक काम है, सफलता जरूर मिलेगी'।

बहुत याद आएंगे अटलजी। उन्हें मेरा व ग्रामगदर के पाठकों का शत्-शत् नमन!

अचल संपत्ति के सभी दस्तावेजों का पंजीयन अनिवार्य

सरकार ने सभी अचल संपत्तियों के सभी दस्तावेजों का पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए सरकार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 में संशोधन के लिए अध्यादेश ला रही है। कैबिनेट ने सर्कुलेशन से अध्यादेश के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है।

सरकार का मानना है कि इस संशोधन से पंजीयन की व्यवस्था सरल होगी और विवाद भी कम होंगे। अचल संपत्ति के कई दस्तावेजों का पंजीयन अनिवार्य नहीं होने से कई बार लोगों के बीच विवाद की स्थिति बनती है।

ऐसे में पक्षकारों के दायित्व व अधिकार की जिम्मेदारी के लिए उनके पास सही दस्तावेज होना चाहिए। इसी उद्देश्य से आध्यादेश के जरिए अचल संपत्तियों के दस्तावेजों का पंजीयन अनिवार्य किया है। पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए दस्तावेज पंजीकरण के लिए मूल स्वामी का जीवित होना जरूरी किया गया है।

सरकार बना सकेगी नियम

अभी तक पंजीयन संबंधी नियमों के लिए महानिरीक्षक पंजीयन अधिकृत थे, लेकिन अध्यादेश में प्रावधान किया गया है कि सरकार भी इसके लिए जरूरी नियम समय-समय पर बना सकेगी। इसके लिए अधिनियम की विभिन्न धाराओं में संशोधन किया है।

रिलायंस रिटेल को भारी पड़ा आलू के 10 रुपए ज्यादा लेना

उदयपुर जिले के आदर्श नगर, यूनिवर्सिटी रोड निवासी वीर प्रकाश चित्तौड़ा ने उपभोक्ता मंच, उदयपुर में लेक सिटी मॉल स्थित रिलायंस रिटेल स्टोर के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। चित्तौड़ा ने मंच को बताया कि 20 फरवरी 2017 को उन्होंने रिलायंस रिटेल से पौने सात किलो आलू खरीदे थे। वहां आलू का भाव सात रुपए पचास पैसे प्रति किलो लिखा था। सामान का जब बिल बनवाया गया तो एग्जीक्यूटिव ने नौ रुपए प्रति किलो के हिसाब से 10 रुपए ज्यादा वसूले। उन्होंने 10 रुपए अधिक लेने का विरोध किया तो एग्जीक्यूटिव ने उनसे अभद्रता की और जबरन रुपए वसूल लिए।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने रिलायंस रिटेल स्टोर को ग्राहक से 10 रुपए ज्यादा वसूलने का दोषी माना। मंच ने आदेश दिए कि रिलायंस रिटेल परिवादी वीर प्रकाश चित्तौड़ा को अधिक लिए गए 10 रुपए, मानसिक संताप के 1000 रुपए और परिवाद व्यय के 1500 रुपए कुल 2510 रुपए अदा करें।

खाद्य लेबलिंग मानदंडों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति गठित

जनता में स्वास्थ्यप्रद व हानिकारक खाद्य वस्तुओं के प्रति जागरूकता लाने के लिए डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों पर लेबल का होना अत्यन्त आवश्यक है।

नई दिल्ली में 'कट्स' इंटरनेशनल एवं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 'स्वस्थ व सुरक्षित भोजन के लिए खाद्य लेबलिंग नियमन' विषयक राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम में एफएसएसएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पवन कुमार अग्रवाल ने अपने संबोधन में यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा एफएसएसएआई इस बारे में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग व डिस्प्ले) नियमन 2018 का मसौदा अप्रैल में लेकर आया था। इसमें अधिक वसा, चीनी व नमक वाले डिब्बा बंद खाद्य उत्पादों पर लाल लेबल लगाना अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया। अब इसके लिए राष्ट्रीय पोषण संस्थान के पूर्व निदेशक बी. शशिकरण की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। समिति में मौजूदा निदेशक हेमलता और डॉक्टर निखिल टंडन भी हैं। यह समिति विभिन्न पक्षों की चिंताओं व जटिल मुद्दों पर गौर कर अपनी सिफारिशें देगी।

इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निदेशक राजीव कुमार ने हानिकारक खाद्य पदार्थों के सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों की जानकारी देते हुए कहा कि इस जोखिम को हम स्वास्थप्रद भोजन एवं जीवन शैली में सुधार लाकर कम कर सकते हैं।

कार्यक्रम में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने कहा कि खाद्य पैकेट पर स्पष्ट व प्रभावपूर्ण लेबल का होना आवश्यक है। यह लोगों में स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति जगरूकता बढ़ाने और भोजन शैली में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारियों, सलाहकारों, विशेषज्ञों सहित करीब 65 लोगों की सक्रिय भागीदारी रही।

महिलाओं को सशक्त बनाना जरूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सामाजिक बुराइयों से लड़ाई के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय स्वतंत्रता एक महिला को समर्थ बनाती है। आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएं सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एकजुट होती हैं तो इससे सामाजिक विकास को बल मिलता है।

उन्होंने बताया कि पिछले चार साल में सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण देकर उद्यमशील और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। इस अवधि में 20 लाख स्वयं सहायता समूह बने हैं और उनमें दो करोड़ 25 लाख परिवार जुड़े हैं।

नहीं पहुंचा पीने का साफ पानी

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत 81 हजार करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद आधे से भी ज्यादा गांवों में पीने का साफ पानी नहीं है। हाल ही नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कैग) द्वारा जारी रिपोर्ट में इस पर सवाल उठाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की 56 फीसदी ग्रामीण बस्तियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है।

रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो स्थिति काफी भयावह है। राज्यों की ओर से जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें वास्तविक तथ्यों को छिपाया गया है और आंकड़ों में भी खेल किया गया है। राजस्थान में पानी शुद्ध करने के लिए डी-फ्लोराइड इकाइयों के लिए पैसा दिया गया लेकिन योजनाएं बीच में ही अधूरी रह गई।

प्रदेशभर में बनेंगे ग्रामीण गौरव पथ

प्रदेशभर के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में 1068 ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इन सड़कों के पूरा होने के साथ ही प्रदेश के 7661 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर गौरव पथ की सुविधा मिल जाएगी।

योजना के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालय की मुख्य सड़क को गंदगी से निजात दिलाते हुए उचित जल निकास के साथ सीमेंट कंक्रीट से निर्मित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बजट में घोषणा की थी शेष रहे सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को गौरव पथ या मिसिंग लिंक सड़कों से लाभान्वित किया जाएगा।

शुरू होगा जन आरोग्य अभियान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 72वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि 25 सितंबर को पंडित दीन दयाल उपाध्याय जयंती पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान शुरू होगा।

इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को पांच लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा कवरेज मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से ऐसे परिवारों को बड़ा संबल मिलेगा जो अपने परिवारजन की गंभीर बीमारियों का इलाज कराने में समर्थ नहीं है।

महज 25 फीसदी भूमि पर जैविक खेती

प्रदेश में जैविक खेती की पर्याप्त संभावनाएं हैं लेकिन किसानों को सुविधाएं नहीं मिलने से सिर्फ 25 फीसदी जमीन पर ही जैविक खेती हो रही है। राज्य में अभी केवल 56106.74 हैक्टेयर भूमि पर जैविक खेती हो रही है। जबकि करीब 211119.92 हैक्टेयर भूमि ऐसी है जिस पर जैविक खेती हो सकती है। यानी महज 25 प्रतिशत भूमि का उपयोग ही जैविक कृषि के लिए हो रहा है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की रिपोर्ट में यह स्थिति उजागर हुई है। खेती नहीं होने के कारणों की पड़ताल करने पर सामने आया कि खुद सरकार ही इसे लेकर गंभीर नहीं है। किसानों को प्रोत्साहन देने और जागरूकता के लिए ठोस कदम नहीं उठाने के कारण जैविक खेती अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रही है।

प्रदेश में खुलेंगी 55 पॉक्सो कोर्ट

हाईकोर्ट के दखल पर राज्य सरकार ने बच्चों से दुष्कर्म और उत्पीड़न के मामलों की तुरंत सुनवाई लिए 55 नए पॉक्सो कोर्ट शुरू किए हैं। वसुंधरा राजे ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह कोर्ट प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित किए हैं।

पॉक्सो कोर्ट बनने से प्रदेश में बाल यौन उत्पीड़न के अपराधियों को अब तुरंत सजा दिलवाई जा सकेगी। प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक पॉक्सो कोर्ट होगा। इन न्यायालयों के लिए कुल 660 पद सृजित किए गए हैं। मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए राज्य में कुल 56 पॉक्सो कोर्ट होंगे। जिनमें से एक कोर्ट पहले ही स्थापित किया जा चुका है।

खेती में यूरिया का उपयोग होगा बंद

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले दिनों नीति आयोग की बैठक में निर्देश दिए थे कि कृषि एवं संबद्ध विभागों की ओर से कृषि में यूरिया के उपयोग को कम करने के लिए सचेत प्रयास किए जाए। प्रधानमंत्री की इस मंशा के मुताबिक केंद्र ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर यूरिया के उपयोग को कम करने के निर्देश जारी किए हैं।

दरअसल, खेती में उपयोग में लिए जा रहे यूरिया के खतरनाक परिणामों को देखते हुए यह निर्णय लिया है। निर्देशों में जैविक खेती तथा वैकल्पिक जैव उर्वरकों के उपयोग को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा गया है।

अब रिश्वत देने वाला भी दोषी

अब रिश्वत लेने वाले के साथ ही देने वाला भी अपराधी माना जाएगा और उसे भी सजा मिलेगी। ऐसे प्रावधान वाला भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) बिल 2018 संसद में पास हो गया है। इसमें रिश्वत देने वाले को सात साल तक की जेल की सजा, जुर्माना या दोनों सजा देने का प्रावधान किया गया है।

रिश्वत लेने वाले के लिए तीन साल से सात साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। लोकसभा में इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया है जबकि राज्य सभा ने यह बिल पहले ही पारित हो चुका है।

विधेयक में लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार का मामला चलाने से पहले लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों से अनुमति लेने का भी प्रावधान किया गया है।

महता थिंक टैंक सदस्य नामित

'कट्स' के महामंत्री प्रदीप एस. महता को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने 'ई-कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के तंत्र' को अंतिम रूप देने के लिए थिंक टैंक (प्रबुद्ध मंडल) के सदस्य के रूप में नामित किया है।

'कट्स' आरईआरसी में सदस्य नामित

'कटस' के महामंत्री को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 87 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में वर्ष 2018 में पुर्नगठित राजस्थान विद्युत नियामक आयोग की सलाहकार समिति में पुनः नामित किया गया है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर